श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त वाणिज्य–कर मंत्री के समक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 12 जनवरी 2022 को आयोजित राज्य के करारोपण (Taxation) से संबंधित बजट पूर्व बैठक में समर्पित प्रमुख बिन्दुएं

A. उद्योगों से संबंधित

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत VAT Reimbursement/ GST Reimbursement/ हेतु इस वित्तीय वर्ष के बजट में समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए ।

B. मुल्यवर्धित कर वैट से संबंधित

OTS योजना को एक बार पुन: लाने का आग्रह

1. गत दो साल से कोविड महामारी के कारण वैट में लंबित मामले के निपटारा हेतु विभाग द्वारा लायी गयी OTS योजना का लाभ बहुत से व्यवसायी नहीं उठा सके हैं । अत: इस योजना को एक बार पुन: लाया जाना चाहिए।

2. **फार्म C/ F में सुधार/निरस्तीकरण/नया जारी करना**

वैट के समय राज्य में ऐसे पंजीकृत करदाता, जो फार्म C/F के खिलाफ अंतरराज्जीय खरीददारी करते थे वे अपने आपूतिकर्त्ता को वैधानिक प्रपत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन बहुत सारे करदाता हैं जो विभिन्न कारणों से ऐसा करने में विफल रहे हैं पहले से ऑनलाईन जारी किए गए फार्मो में सुधार/संशोधन/संशोधन रद्द करने की आवश्यकता हैं ।

यह विस्मृत है कि अपने संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को प्रपत्र जारी करने में विफलता के मामले में, ऐसे व्यक्ति अपने आपूर्तिकर्त्ता को अंतर कर, ब्याज और जुर्माना आदि की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि काउंटर पार्टी सेल्स टैक्स विभाग द्वारा लगाया जाता हैं ।

करदाताओं को केवल इस आधार पर पीड़ित नहीं होना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म जारी करने में गलती की है ओर एक बार जारी किए गए फॉर्म को ठीक नहीं किया जा सकता है।

यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार को वात अवधि के लिए नए फॉर्म C/F जारी करने और सीमित समय अवधि के लिए खिड़की खोलने के लिए पहले से जारी प्रपत्रों में सुधार/सुधार करने का अवसर देना चाहिए ताकि वात से संबंधित सभी चीजें साफ हो जाए।

यह सरकार को किसी भी नुकसान के बिना कई करदाताओं को राहत देगा और हम मामले में तत्काल कार्रवाई चाहते हैं।

क्रमश:.....2

C. रजिस्ट्रेशन से संबंधित

1. निर्मित भवन(अचल संपति)के निबंधन हेतु मूल्यांकन रकम के निर्धारण संबंधित

सरकार द्वारा अचल संपति के निबंधन हेतु निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू) की अलग–अलग लोकेशन/क्षेत्र के अनुरूप भिन्न–भिन्न सर्किल रेट निर्धारित की जाती है।

वर्त्तमान नियमों के तहत किसी भी निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू दोनों के लिए) के निबंधन हेतु उस भवन की लोकेशन के आधार पर सर्किल रेट से मुल्यांकन किया जाता है और साथ में भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी की लागत अलग से जोड़ी जाती है। इस तरह एक बार भूमि की लागत निर्मित भवन की सर्किल रेट में सम्मिलित हो जाती है और दूसरी बार भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी के रूप में दूबारा जुड़ जाती है।

विगत वर्षो में सर्किल रेट में कई–कई बार बढ़ोतरी होने के कारण ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांशत: किसी भी अचल निर्मित संपति के निबंधन हेतु मुल्याकंन रकम उसके वास्तविक क्रय रकम से अधिक हो जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्रेता को आयकर नियमों के तहत भी झेलना पड़ता है।

देश भर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नही है जब कि भूमि की लागत अलग से जोड़ी जाती हो। यद्यपि अनुपातिक हिस्सेदारी पर भी क्रेता का पूरा अधिकार होता है ।

हमारा सुझाव होगा कि भूमि पर क्रेता को अनुपातिक हिस्सेदारी का अधिकार रखते हुए भूमि की लागत को मुल्यांकन रकम में अलग से नही जोड़ा जाना चाहिए। यह एक गंभीर मसला है जो कि काफी समय से चला आ रहा है लेकिन पूर्व में सर्किल रेट कम होने की वजह से इसका दुष्प्रभाव विशेष नही झेलना पड़ता था। लेकिन धीर–धीरे सर्किल रेट में वृद्धि होने के बाद आज निबंधन हेतु मुल्यांकन की रकम भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी को अलग से जोड़ने की वजह से वास्तविक लेन–देन की राशि से अधिक हो जा रहा है। इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की नितांत आवश्यकता है।

D. जीएसटी एक्ट एवं रूल्स से संबंधित सुझाव

1 जीएसटी की धारा 16 (4)

जीएसटी की धारा 16 (4) के अन्तगर्त करदाता किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर माह की रिटर्न फाईल करने की नियत तिथि तक ही प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में हमारा शुरू से ही सरकार को सुझाव रहा है कि उक्त धारा में बदलाव करने की जरूरत है।

ऐसा देखा जाता है कि वार्षिक खाता बही को अंतिम रूप से तैयार करने के क्रम में कई बार इनपुट संबंधित भूल भी सामने आती है और उसे सुधारने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। उक्त धारा में बदलाव करके इनपुट क्रेडिट को प्राप्त करने की समय सीमा को वार्षिक रिटर्न फाईल करने के पूर्व तक कर दिया जाना निहायत ही जरूरी है।

विदित हो कि उक्त. प्रावधान की वजह से ऐसे करदाता जिन्होंने विलंब से रिटर्न फाईल की थी उनके इनपुट क्रेडिट के दावे को अस्वीकार कर दिया गया और करदाता को कर भुगतान के लिए मांग पत्र जारी कर दिया गया और उसके बैंक खाते को attach करके बैंक से राशि भी ले ली गयी। इस तरह के कई मामले न्यायालय में भी लंबित हैं। अत: धारा 16 (4) को तुरंत बदलना बहुत ही जरूरी है।

क्रमश:.....3

2 **<u>नियम 36 (4)</u>**

इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का आधार है और जीएसटी की पूरी अवधारणा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर आधारित है और जब इसी से संबंधित प्रावधानों को गैर व्यवहारिक रूप दे दिया जाए तो निसंदेह परिणाम अच्छा नहीं होंगे।

आज के दिन देश का अधिकांश निम्न एवं मध्यम स्तर का करदाता जीएसटी को एक काला कानून के रूप में देखने लगा है और उसे हर समय भय सताते रहता है कि कहीं उससे भूल ना हो जाए। अपनी आर्थिक गतिविधियों पर कम ध्यान दे पाता है और वो नियमों को ही देखने में लगा रहता है कि कहीं किसी तरह की चूक ना हो जाये।

जीएसटी के मूल प्रावधानों के अन्तगर्त प्रोविजनल इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था की गयी थी और साथ हीं साथ किसी भी कारण से यदि किसी स्पलायर्स द्वारा रिटर्न फाईल नही किए जाने पर, यानि बीजक अपलोड नही किए जाने पर, प्राप्तकर्त्ता अपनी तरफ से उक्त बीजक को अपने द्वारा फाईल की जाने वाली GST2 में अपलोड कर सकता था लेकिन प्रारंभिक तकनीकी खामियों की वजह से GSTR 1, GSTR 2 एवं GSTR 3 के मुल संकल्पना को ही तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया था जिसे कि बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया।

इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए GST की धारा 16 में उल्लेखित शर्तो की अनदेखी करके सरकार ने अक्टूबर 2019 में प्रोविजनल इनपुट प्राप्त करने पर पाबंदी लगा दी और इसे पोर्टल पर अपलोड किए गए बीजक के आधार पर उपलब्ध इनपुट की अधिकतम 20% कर दिया गया, जनवरी 2020 में इसे घटाकर 10% और जनवरी 2021 में इसे घटाकर 5% कर दिया गया है जिसकी वजह से करदाता को इनपुट क्रेडिट रहने पर भी अब राशि नगद जमा करनी होती है।

इससे एक कदम और आगे बढ़कर सरकार ने 2021 के वार्षिक बजट में GST की धारा 16 (2) में एक नए प्रावधान (a) (a) को जोड़कर सप्लायर्स द्वारा अपने बीजक को अपलोड करने के उपरांत ही खरीददार को इनपुट क्रेडिट उपलब्ध होने की शर्त लगा दी है जो कि किसी भी तरह से सही नही है। सरकार ने जनवरी 2022 से उक्त बदलाव को लागू कर दिया है जिससे संभवत: भारी समस्याएँ पैदा हो जाएगी । सप्लायर्स की गलती का दण्ड खरीददार को नही देना चाहिए। सप्लायर्स को पकड़ना सरकार का काम है ।

अत: नियम 36 (4) को अविलंब ही हटाना चाहिए। क्योंकि धीरे–धीरे करदाताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। 45वीं जीएसटी काउन्सिल की बैठक में भी सरकार ने नियम 36 (4) को धारा 16 (2) (a) (a) में परिपेक्ष्य में बदलने की चर्चा की है जो कि सही कदम नही होगा।

हमारा मानना है कि सरकार को करदाता द्वारा प्राप्त इन्पुट क्रेडिट एवं उसके सप्लायर्स द्वारा अपलोड किए गए बीजक एवं डेविट नोट के आधार पर उपलब्ध इनपुट की तुलना अवश्य करनी

ऐसा संभव है कि कोई सप्लायर्स किन्ही विशेष कारणों से समय पर GSTR1 फाईल नही कर पाता हो तो उसके खरीददार को इन्पुट क्रेडिट से वंचित करना कतई उचित नही है। विदित हो कि विलंब होने पर विलंब शुल्क एवं ब्याज दोनो देय होता है और जब सप्लायर्स द्वारा सरकार उसे प्राप्त करती है, खरीददार को उसका दण्ड नही दिया जाना चाहिए।

क्रमश:.....4

चाहिए एवं यदि 25% - 30% से अधिक अंतर आने पर करदाता से स्पष्टीकरण भी मांगा जाना चाहिए लेकिन इनपुट प्राप्त करने की शर्त में धारा 16 (2) (a) (a) के द्वारा किए गए बदलाव को नही लागू किया जाना चाहिए।

3 **E-Way Bill**

A. 1 जनवरी 2021 से लागू नियम 138(10) के तहत E-way bill की वैद्यता की समय सीमा प्रत्येक 200 किलोमिटर के लिए 1 दिन कर दी गई है जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है । इसे पूर्व की भांति प्रत्येक 100 किलोमिटर पर 1 दिन कर देना चाहिए।

B. सरकार ने E-way bill को ब्लॉक करने का प्रावधान कर दिया है जिसके तहत लगातार दो माह का रिटर्न फाइल नहीं होने पर E-way bill ब्लॉक कर दिया जाता है । उक्त 2 महीने का समय काफी कम है । इसे सामान्य श्रेणी के लिए 6 महीने की रिटर्न एंड कम्पोजिशन श्रेणी के लिए 2 त्रैमासिक की रिटर्न फाइल नहीं होने पर लागू किया जाना चाहिए ।

C. ऐसा देखने में आ रहा है कि सप्लायर्स द्वारा E-Way Bill का Part A भरकर देने के पश्चात् ट्रांसपोर्टर द्वारा भरा जाने वाला Part B नही भरा जाता है और ऐसी परिस्थिति में भी मार्ग में जाँच के दौरान उस माल पर अर्थदण्ड लगाया जाता है जो कि सप्लायर्स अथवा खरीददार को भुगतान करना होता है।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि जीएसटी नियमों में Part B को भरने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से ट्रांसपोर्टर पर दी जानी चाहिए और उक्त कमियों के लिए ट्रांसपोर्टर पर दण्ड लगाया जाना चाहिए।

4 **भुगतान**

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार जब तक नगद खाते से राशि का सामजस्य नहीं किया जाता है तब तक भुगतान नहीं माना जाता है जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है । नगद खाते में भुगतान की गई तारीख को ही भुगतान की तारीख माना जाना चाहिए । क्योंकि बहुत सारे करदाता रिटर्न फाईल नही कर पाता है लेकिन ब्याज से बचने के लिए भुगतान कर देना चाहता हैं

5 **निबंधन**

A जीएसटी के मूल प्रावधानों के अन्तगर्त निबंधन की प्रक्रिया सरल एवं व्यवहारिक रही लेकिन 1 जनवरी 2021 से नियमों में किए गए बदलाव के पश्चात निबंधन में काफी समस्याएँ आने लग गई है । विभागीय पदाधिकारी द्वारा बिना किसी कारण के भी आपत्ति कर दी जाती है और आवेदन को लटका दिया जाता है। कार्यस्थल के परिसर से संबंधित कागजात की जाँच के क्रम में गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और जिसकी वजह से निबंधन नही मिल पाता है।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि कार्यस्थल परिसर के पते के साक्ष्य हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में अपनाई जा रही प्रक्रिया की तर्ज पर उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और चूंकि निबंधन हेतु आधार सत्यापन को आवश्यक कर दिया गया है, आवश्यकता होने पर आवेदक को खोजना/पकड़ना आसान हो गया है । अत: निबंधन में सरल एवं सुगम दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

क्रमश:.....5

B जीएसटी के नियम 21A मे बदलाव करके पदाधिकारीयों को काफी अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं और छोटे–छोटे कारणों के रहने पर भी करदाता का निबंधन निलंबित करने का अधिकार देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नही है।

धारा 29 के तहत कर अधिकारी बिना सुनवाई का मौका दिए हुए भी करदाता का निबंधन निलंबित कर सकता है जो कि किसी भी दृष्टिकोण से सही नही ठहराया जा सकता।

6 **अमनेस्टी स्कीम के तहत रिटर्न फाईल करने पर इन्पुट क्रेडिट के दावों को स्वीकार करना**

सरकार ने अभी तक तीन बार GST में अमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन तीनो बार विलंब शुल्क में माफी की गयी लेकिन धारा 16 (4) के तहत इन्पुट क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा को नही बढ़ाया गया जिसकी वजह से करदाताओं में संशय की स्थिति है। सरकार को अविलंब अमनेस्टी स्कीम के तहत इन्पुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए।

7 **नियम 86 (B)**

1 जनवरी 2021 से ही सरकार ने एक नया नियम 86B लागू कर दिया है जिसके तहत करदाता को अब कम से कम 1% देय कर का भुगतान नगद खाते से करना होगा। यद्यपि इसमें कुछ परिस्थितियों में छूट भी दी गयी है लेकिन इस तरह की शर्ते लगाने का कोई औचित्य नही है। अत: इसे हटा देना चाहिए।

8 **अचल संपति के निर्माण पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट**

GST की धारा 17 (5) के अन्तगर्त अचल संपति के निर्माण से जुड़े इन्पुट क्रेडिट के दावे को स्वीकृत नही किया जा सकता है। उद्योग अथवा व्यापार में अचल संपति का निर्माण एक सामान्य घटना है। अचल संपति का उपयोग उद्योग एवं व्यापार के परिसर के साथ में किया जाता है। साथ ही साथ अचल संपति को व्यापारिक उपयोग के लिए किराये पर भी लगाया जाता है जिसपर जीएसटी देय होता है । अत: सरकार को अचल संपति के निमार्ण से जुड़े इन्पुट टैक्स क्रेडिट को स्वीकृत करने पर विचार करना चाहिए।

9 **GSTR 1 के बिलम्ब शुल्क की माफी**

सरकार ने अपनी तीनों बार की लागू ऐमनेस्टी योजनाओं में GSTR-3B के लिए लागू बिलम्ब शुल्क को तो माफ कर दिया/कम कर दिया लेकिन GSTR-1 के लिए कोई भी चर्चा नहीं की गई । चूंकि GSTR 1 के लिए लागू बिलम्ब शुल्क का भुगतान रिटर्न फाइल करने के समय नहीं करना होता है, करदाता को उसका अहसास तत्काल तो नही होता है लेकिन बाद में कर निर्धारण/स्क्रुटनी के समय पदाधिकारी द्वारा बिलम्ब शुल्क की मांग की जा सकती है । अत: सरकार को सभी तरह के करदाताओं के लिए GSTR 1 पर लागू बिलम्ब शुल्क को सितम्बर 2021 तक के लिए माफ कर देना चाहिए ।

10 **(एमेनस्टी स्कीम से अलग) पूर्व में बिलम्ब शुल्क के भुगतान के साथ रिटर्न फाइल करनेवाले करदाताओं को बिलम्ब शुल्क का रिफंड प्रदान करना**

सरकार ने GSTR 3B रिटर्न के बिलम्ब फाइल करने पर लागू बिलम्ब शुल्क की माफी हेतु अभी तक तीन बार एमेनस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन हरेक बार उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया गया जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी और वैसे करदाता जिन्होंने योजना का इंतजार किए बिना बिलम्ब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल कर दी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है ।

क्रमश:.....6

पिछले कई समय से इस संबंध में हम ध्यान आकर्षित करते रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । सरकार को इस योजना का लाभ सभी को देना चाहिए अन्यथा इसका गलत प्रभाव लोगों पर पड़ता है । सरकार को बिलम्ब शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का सभी करदाताओं को रिफंड कर देना चाहिए । इस पर गंभीरता से यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।

11 **HSN Code**

पूर्व में 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले को HSN Code की बाध्यता से मुक्त रखा गया था जबकि अप्रैल 2021 से लागू नियम में उक्त छूट हटा दी गई है । HSN Code की बाध्यता 10 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले लोगों पर लागू की जानी चाहिए।

****